(39)

Annx 7

कार्यालय उप आवासनआयुक्त, वृत्त-द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक :- 1856 दिनांक :- 11/9/02

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासनमण्डल
खण्ड-षष्ठम्, मानसरोवर
जयपुर।

विषय :- डिस्पोजल आफ प्रोपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1970 की धारा 34 के अन्तर्गत मण्डल की मानसरोवर योजना जयपुर में " मस्जिद " हेतु आवंटित भूमि का कब्जा देने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानसरोवर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी मानसरोवर जयपुर को मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की दि. 28-1-2002 को आयोजित बैठक में मानसरोवर योजना के सेक्टर-3 में "मस्जिद " निर्माण हेतु 1000.00 व.मी. भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया था ।

मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के उक्त निर्णय की पालना में मानसरोवर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को आवंटित उक्त भूमि का आवंटन पत्र क्रमांक 227 दिनांक 23-3-2002 को तथा संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 568 दि. 19-8-2002 को जारी किये गये थे। सोसाइटी ने उक्त आवंटन पत्रों के द्वारा वांछित राशियां जमा करवाकर चालान की प्रतियां प्रस्तुत कर दी है । सोसाइटी ने आवंटन पत्र की मांग राशि रुपये 31,080/- विलम्ब से जमा करवाई है जिस पर मण्डल के नियमानुसार 66 दिवस का ब्याज रुपये 1125/- वसूलनीय है ।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि मानसरोवर मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी के द्वारा रुपये 1125/- (एक हजार एक सौ पच्चीस मात्र) जमा करवाने के फलस्वरूप आवंटित भूमि का भौतिक कब्जा दिनांक 14-10-2002 तक संलग्न मानचित्र के अनुसार नियमानुसार रसीद प्राप्त कर संभला दिया जावे ।

भवदीय

Sd/-

संलग्नः- उपरोक्तानुसार उप आवासन आयुक्त, वृत-II

प्रतिलिपि:- (1) अध्यक्ष, मानसरोवर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, मानसरोवर [illegible] 34/50 किरण पथ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि [illegible] 1125 (एक हजार एक सौ पच्चीस मात्र) जमा [illegible] आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 14-10-2002 [illegible] रूप से आवासीय अभियन्ता खण्ड-6 मानसरोवर [illegible] कार्यालय से प्राप्त करने का श्रम करें ।

(2) मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.मण्डल, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है ।

उप आवासन आयुक्त, [illegible]

410
13/9/02

2592

[illegible] 2 [illegible] राशि का चालान [illegible] 1125/-